HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Third Bail Application No. 14570/2025

Kishan S/o Gopi Lal Jat, Aged About 36 Years, Manna Kheda, Fatehnagar Ps Dist. Udaipur. (Lodged In Dist. Jail, Chittorgarh)

----Petitioner

Versus

Union of India, Through NCB

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vijay Raj Bishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Gopal Singh for Mr. K.S. Nahar, Spl. PP for CBN

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

26/02/2026

प्रार्थी–अभियुक्त **किशन** की ओर से यह तृतीय जमानत प्रार्थना–पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना सी.बी.एन., जिला कोटा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. प्रार्थी–अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में दिनांक 10.06.2024 को योग्य अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा बल नहीं देने के आधार पर निस्तारित की जा चुका है तथा प्रार्थी–अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 17.09.2025 को जब्ती अधिकारी के कथन लेखबद्ध होने के पश्चात् पुनः जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया जा चुका है।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त व योग्य विशेष लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिए कि पूर्व में दिनांक 17.09.2025 के आदेश से जब्ती अधिकारी के कथन लेखबद्ध होने के पश्चात् पुनः जमानत

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए प्रार्थी–अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र निस्तारित किया जा चुका है। तत्पश्चात् जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यु.02 अनुज के कथन लेखबद्ध हो चुके हैं और इसके साक्ष्य के अनुसार जब्ती की कार्यवाही सूर्यास्त के पश्चात् की गई थी एवं इसके बाद भी एन.डी.पी.एस. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई थी। साथ ही जिस वक्त तलाशी तथा जब्ती की कार्यवाही करवाई गई थी, उस समय होटल प्रार्थी–अभियुक्त के ही स्वामित्व का था, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि वास्तविक रूप से होटल एक अन्य व्यक्ति को किराये पर दे रखा था और प्रार्थी–अभियुक्त केवल होटल के बाहर बैठा था, फिर भी उसे गलत रूप से अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त गिरफ्तारी के पश्चात् से लगभग दो साल से अभिरक्षा में है। प्रकरण में अभी भी शेष गवाहों के कथन लेखबद्ध करने एवं प्रकरण के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिए कि प्रार्थी–अभियुक्त के कब्जे से लगभग 111 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया है। अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त के कब्जे से कुल 111 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा की बरामदगी बताई गई है और दिनांक 17.04.2024 को समय 17:15 बजे केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के निवारक दल द्वारा नीलकण्ठ हरियाणा ढाबा, राती मंगरी, थाना भादसौड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़–उदयपुर हाईवे पर पहुंचने के पश्चात् वहां प्रार्थी–अभियुक्त किशन के बैठे पाए जाने पर ही तलाशी के पश्चात् उक्त बरामदगी बताई गई है। पूर्व में प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किए गए द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र को बल नहीं देने पर तथा जब्ती अधिकारी के कथन लेखबद्ध होने के पश्चात्, पुनः जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया गया था। अब

प्रकरण में जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यु.02 अनुज के प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि होटल, जहां से अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया था, वह होटल किशन लाल पुत्र गोपी लाल जाट के स्वामित्व व आधिपत्य का हो, इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य बरामद नहीं हुआ था एवं उसने यह भी स्वीकार किया है कि यह होटल जमनादास पुत्र बद्रीदास वैष्णव ने रत्नलाल पुत्र नारायण लाल मेघवाल को किराये पर दे रखा था, जहां पर लोग–बाग चाय पीने आते रहते थे। प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त को दिनांक 17.04.2024 को गिरफ्तारी होने के पश्चात् से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में बताया गया है। प्ररकण में अभी तक केवल 2 ही गवाहानों के कथन लेखबद्ध हो पाना प्रकट किया गया है। इस प्रकार अभी भी अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। अतः प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त किशन को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **किशन पुत्र गोपी लाल जाट** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त पुलिस थाना सी.बी.एन., जिला कोटा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07/2024 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J

386-Vishal/-